कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन,भोपाल–462004

क्रमांक 442/आउशि/अका.प्र./08 भोपाल,दिनांक–17.11.08

प्रति,

1. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
म0प्र0।

विषयः–सेमेस्टर पद्धति में कम उपस्थिति वाले छात्रों के संबंध में निर्देश।

––0––

मध्यप्रदेश के महाविद्यालयों में सेमेस्टर पद्धति पहली बार लागू की गई है एवं कई कारणों से प्रवेश तिथि में संशोधन करना पड़ा है। अतः विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत उपस्थिति को पूर्ण करने के लिये अतिरिक्त कक्षाओं का प्रावधान किया गया है। विद्यार्थियों को परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी होने तक 75 प्रतिशत की उपस्थिति पूर्ण करना है। जिन विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण नहीं होती उन्हें स्वाध्यायी छात्र के रूप में प्रथम सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा एवं प्रोजेक्ट वर्क जमा करने के आधार पर दी जानी है।

ऐसे विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण करने के पश्चात् द्वितीय सेमेस्टर में पुनः नियमित छात्र हो सकेंगे। जिन विद्यार्थियों ने यह कार्य पूरा नहीं किया है वे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा पद्धति की परीक्षा में स्वाध्यायी रूप में सम्मिलित होंगे। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभ से ही स्वाध्यायी विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा पद्धति में अकादमिक कैलेण्डर के आधार पर परीक्षा में बैठेंगे।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

क्रमांक 443/आउशि/अका.प्र./08 भोपाल,दिनांक–17.11.08

प्रतिलिपिः–

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,म0प्र0। कृपया अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को कार्यवाही हेतु निर्देशित करें।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

E-mail : prabha.verma@mp.gov.in